फेमसिाइड्स, 2023: ग्लोबल एस्टमिट्स ऑफ इंटमिट पार्टनर/फैमली मेंबर फेमसिाइड्स रपिोर्ट

प्रलिम्सि के लयि:

महलिाओं के खलिाफ हसिा के उन्मूलन के लयि अंतरराष्ट्रीय दवसि, संयुक्त राष्ट्र महलिा, मादक पदार्थों एवं अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC), राष्ट्रीय अपराध रकिॉर्ड ब्यूरो 2022, संयुक्त राष्ट्र महासभा।

मेन्स के लयि:

महलिाओं से संबंधति मुद्दे, सामाजकि मानदंडों की भूमकिा और महलिा सशक्तीकरण

स्रोत: डाउन टू अर्थ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में महलिाओं के खलिाफ हसिा उन्मूलन हेतु अंतरराष्ट्रीय दवसि (25 नवंबर) के दौरान **फेमसिाइड्स, 2023: ग्लोबल एस्टमिट्स ऑफ इंटमिट पार्टनर/फैमली मेंबर फेमसिाइड्स रपिोर्ट के माध्यम से महलिाओं** के खलिाफ होने वाली हसिा पर प्रकाश डाला गया।

- यह रपिोर्ट संयुक्त राष्ट्र महलिा और **संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC) द्वारा जारी की गई, जसिमें महलिा हत्या के वैश्वकि संकट** की गंभीरता पर प्रकाश डाला गया।
- महलिाओं की हत्या को लगि-संबंधी प्रेरणा के साथ जानबूझकर की गई हत्या के रूप में परभिाषति कयिा जाता है। यह महलिाओं और लड़कयिों के वरिुद्ध भेदभाव, असमान शक्ति संबंधों, लैंगकि रूढ़वादिता या हानकिारक सामाजकि मानदंडों से प्रेरति है।
  - यह हत्या से भनि्न है, जसिमें लगि-तटस्थ उद्देश्य मौजूद हो सकता है।

रपिोर्ट के मुख्य नष्किर्ष क्या हैं?

- **वैश्वकि परदृश्य:** वर्ष 2023 में, वशि्व में **85,000 महलिाओं और लड़कयिों की** हत्या जानबूझकर की गई, जनिमें से **60% (लगभग 51,100)** की हत्या अंतरंग साथी या परविार के सदस्यों द्वारा की गई।
  - औसतन **प्रतदिनि 140 महलिाएँ और लड़कयिाँ** अपने अंतरंग साथी या नकिट संबंधयिों द्वारा स्त्री-हत्या की शकिार हो जाती हैं।
- **क्षेत्रीय असमानताएँ: अफ्रीका में पीड़तिों** की संख्या सबसे अधकि **(21,700)** और प्रति जनसंख्या महलिा हत्या की दर सबसे अधकि **(प्रति 100,000 पर 2.9) दर्ज की गई है।**
  - इसके बाद **अमेरकिा और ओशनियिा में क्रमशः 1.6 और 1.5 प्रति 100,000** दर्ज की गई है, जबकि **एशयिा और यूरोप में** यह दर काफी कम, **0.8 और 0.6 प्रति 100,000** थी।
- **गैर-घरेलू महलिाओं की हत्याएँ:** गैर-घरेलू महलिाओं की हत्याओं में भी तेज़ी देखी गई है। उदाहरण के लयि, **फ्राँस (2019-2022)** में **5%** और **दक्षणि अफ्रीका** (2020-2021) में 9% गैर-घरेलू महलिाओं की हत्याओं के मामले दर्ज कयि गए है।
- **मानवहत्या:** अनुमान है कि वर्ष 2023 में सभी **हत्या में से 80% हत्याओं में पुरुष शामलि है जबकि 20% महलिाएँ हैं।**
  - लेकनि, **घातक हसिा** पुरुषों की तुलना में महलिाओं को अधकि प्रभावति करती है, वर्ष 2023 में जानबूझकर मारी गई लगभग **60% महलिाएँ** अंतरंग साथी या परविार के सदस्य की हत्या का शकिार होती हैं।

//

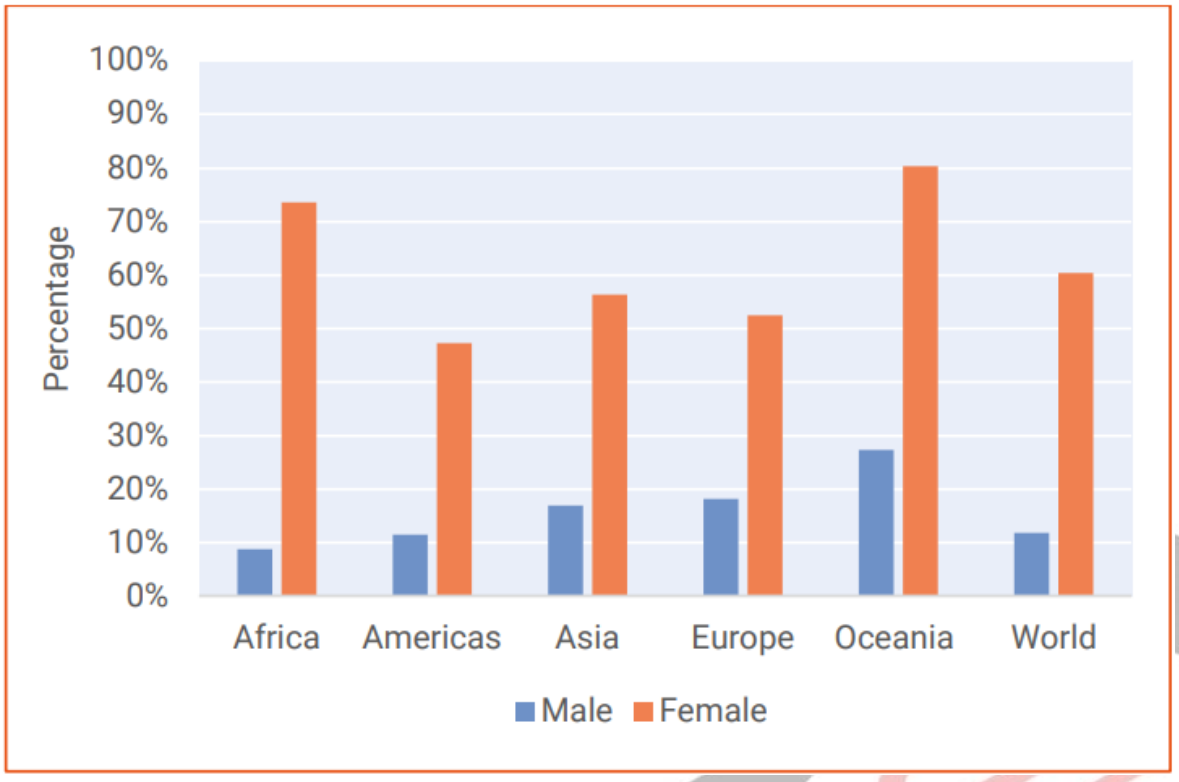

- **महिला हत्या की रोकथाम:** अंतरंग साथी (Intimate Partners) द्वारा की गई महिलाओं की हत्या से संबंधित काफी मामलों में **पहले हिंसा की रिपोर्ट** की गई थी, जिसमें **फ्राँस** (2019-2022) में 22-37% मामलों के साथ **दक्षिण अफ्रीका** (2020-2021) में इसी तरह की प्रवृत्ति देखी गई।
- **डेटा और उपलब्धता:** इससे संबंधित डेटा उपलब्धता में गिरावट आई है **वर्ष 2020** (75 देशों ने) **की तुलना में वर्ष 2023 में केवल आधे देशों द्वारा ही इससे संबंधित डेटा उपलब्ध** कराए गए।
    - केवल कुछ ही देश **UNODC-UN वुमेन फ्रेमवर्क का उपयोग करके गैर-घरेलू महिला हत्याओं** से संबंधित डेटा एकत्र करते हैं।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के कौन-कौन से रूप हैं?

- **घरेलू हिंसा:** इसमें वर्तमान या पूर्व साथी (प्रायः **पति या परिवार के सदस्य) द्वारा की गई ऐसी गतिविधियाँ** शामिल होती हैं जिनसे **शारीरिक, यौन या भावनात्मक क्षति** होती है।
    - इसके उदाहरणों में **शारीरिक आक्रामकता, जबरदस्ती, मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार** तथा नियंत्रणकारी व्यवहार शामिल हैं।
- **यौन हिंसा:** इसमें महिलाओं और बालिकाओं को निशाना बनाकर उनकी सहमति के बिना **अवांछित यौन कृत्य** किया जाना शामिल है।
    - इसके उदाहरणों में **बलात्कार, यौन उत्पीड़न, ऑनलाइन यौन शोषण, गैर-संपर्क यौन शोषण,** तस्करी तथा जबरन वेश्यावृत्ति शामिल हैं।
    - राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2022 के अनुसार, भारत में **वर्ष 2022 में 31,000 से अधिक (**प्रतिदिन लगभग **87 मामले)** बलात्कार के मामले दर्ज किये गए।
- **मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार:** इसमें **नज़रों, इशारों या चिल्लाने के माध्यम से डराना-धमकाना** साथ ही **अपमान, अश्लील या अपमानजनक टिप्पणियाँ** करना शामिल है।
    - **इसमें मासिक धर्म वाली महिलाओं को अलग-थलग करने के साथ कन्या भ्रूण हत्या** जैसी प्रथाएँ (जिनसे महिलाओं के अधिकारों एवं सम्मान का उल्लंघन होता है) भी शामिल हैं।
- **सांस्कृतिक दुर्व्यवहार: इसमें महिला जननांगों की विकृति, बाल विवाह, जबरन विवाह एवं** हिंसा जैसी नकारात्मक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाएँ शामिल हैं।
- **प्रौद्योगिकी-प्रचारित हिंसा:** इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर **बदनामी, उत्पीड़न, पीछा करना,** साइबर धमकी, मॉर्फ्ड एवं डीपफेक वीडियो का वितरण तथा **डॉक्सिंग (किसी महिला के बारे में निजी जानकारी को सार्वजनिक रूप से जारी करना)** शामिल है।

भारत में लैंगिक हिंसा के संबंध में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) 2022 के आँकड़ों** के अनुसार, वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में **4% वृद्धि** हुई है।
- **महिलाओं के खिलाफ अपराधों की प्रकृति:** वर्ष 2022 के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अधिकांश अपराध निम्नलिखित प्रकृति के थे:

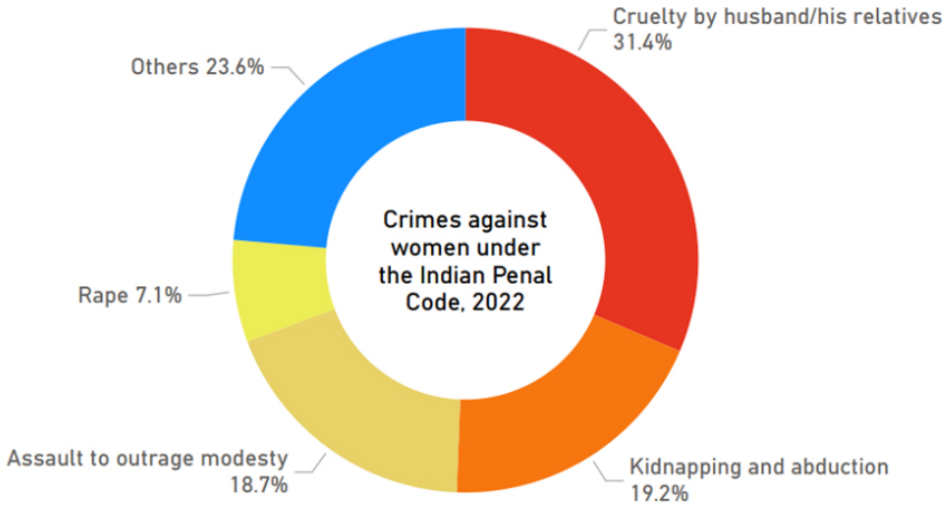

- इसके अतिरिक्त **दहेज निषेध अधिनियम, 1961** के तहत **13,479 मामले** दर्ज किये गए।
- **FIR दर्ज करना:** NCRB की रिपोर्ट से पता चलता है कि वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के **4.45 लाख से अधिक मामले (प्रति घंटे लगभग 51 FIR) दर्ज किये गए**।
- **बलात्कार के अधिक मामले: वर्ष 2022 में 31,000** से अधिक बलात्कार के मामले दर्ज किये गए। वर्ष **2016 में** बलात्कार के मामले लगभग 39,000 तक पहुँच गए।
    - **वर्ष 2018** में देश भर में औसतन **प्रत्येक 15 मिनट में एक महिला द्वारा बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज** कराई गई।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस

- **यह दिवस महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा (Violence Against Women and Girls- VAWG) के** खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिये 25 **नवंबर** को मनाया जाता है।
    - **इसे वर्ष 1999 में** संयुक्त राष्ट्र **महासभा** द्वारा नामित किया गया था।
- **मिराबल बहनों का सम्मान**: यह दिन **डोमिनिकन गणराज्य** की **मिराबल बहनों (पेट्रिया, मिनर्वा और मारिया टेरेसा) के सम्मान** में मनाया जाता है, जो **राफेल ट्रूजिलो की** तानाशाही तथा हिंसा के खिलाफ प्रतिरोध की प्रतीक थीं।
    - 25 नवंबर, 1960 को ट्रूजिलो (Trujillo's) के आदेश पर दोनों बहनों की **हत्या कर** दी गई।

संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC)

- **वर्ष 1997** में स्थापित UNODC **अवैध ड्रग्स, अंतर्राष्ट्रीय अपराध और आतंकवाद से निपटने में** एक वैश्विक अग्रणी संस्था है।
- **मुख्यालय: यह वियना** में स्थित है तथा इसके संपर्क कार्यालय **न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स** में हैं।
- **आतंकवाद की रोकथाम: आतंकवाद के** विरुद्ध सार्वभौमिक कानूनी उपायों के अनुसमर्थन और कार्यान्वयन में राज्यों की सहायता के लिये वर्ष **2002** में अपनी गतिविधियों का विस्तार किया।

यू.एन. वीमेन

- **परिचय:** संयुक्त राष्ट्र महिला एक **संयुक्त राष्ट्र इकाई है** जिसका लक्ष्य **वैश्विक लैंगिक असमानता को दूर करना** और **महिलाओं और लड़कियों को सशक्त** बनाना है।
- **निर्माण:** संयुक्त राष्ट्र **सुधार एजेंडे** के हिस्से के रूप में **संयुक्त राष्ट्र महासभा** द्वारा **जुलाई 2010** में स्थापित। इसमें चार मौजूदा संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं का विलय किया गया।
    - महिला उन्नति प्रभाग (DAW)
    - महिलाओं की उन्नति के लिये अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (INSTRAW)
    - लैंगिक मुद्दों और महिलाओं की उन्नति पर विशेष सलाहकार का कार्यालय (OSAGI)
    - महिलाओं के लिये संयुक्त राष्ट्र विकास कोष (UNIFEM)
- **मुख्य लक्ष्य:** महिलाओं और लड़कियों के प्रति भेदभाव को समाप्त करना।
    - महिलाओं को सशक्त बनाना तथा महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता प्राप्त करना।
    - विकास, मानवाधिकार, शांति और सुरक्षा में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना।

भारत में महिला सुरक्षा के लिये प्रमुख कानून क्या हैं?

- अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956
- महिलाओं का अशिष्ट चित्रण अधिनियम, 1986
- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) (PoSH) अधिनियम, 2013
- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012

महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा

घरेलू हिंसा किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार को संदर्भित करती है, चाहे वह घर, परिवार या घरेलू इकाई की सीमा के भीतर शारीरिक, भावनात्मक, यौन या आर्थिक हो।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS), 2019-2021

- 29.3% विवाहित महिलाओं ने घरेलू/यौन हिंसा का अनुभव किया
- 3.1% गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ा
- 87% विवाहित महिलाओं, जो वैवाहिक हिंसा की शिकार हुईं, ने मदद नहीं मांगी
- 32% विवाहित महिलाओं ने **शारीरिक, यौन या भावनात्मक हिंसा** का अनुभव किया

भारत में कानूनी ढाँचे

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (PWDVA)	इसमें शारीरिक, भावनात्मक, यौन और आर्थिक शोषण शामिल है सुरक्षा, निवास और अनुतोष हेतु विभिन्न आदेश प्रदान करता है
भारतीय दंड संहिता, 1860	**धारा 498A** पति या उसके रिश्तेदारों के द्वारा की गई क्रूरता से संबंधित है **क्रूरता, उत्पीड़न** या **यातना** के कृत्यों को अपराध घोषित करता है
दहेज निषेध अधिनियम, 1961	यह **दहेज देने** या **दहेज लेने** को अपराध घोषित करता है
दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013	**घरेलू हिंसा** के मामलों में **यौन उत्पीड़न** से संबंधित **नए अपराधों** को शामिल करने के लिये **IPC** की धारा **354A** में संशोधन किया गया।
राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990	महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है और घरेलू हिंसा से निपटने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है
बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006	बाल विवाह को रोकना और बाल वधू के विरुद्ध घरेलू हिंसा को रोकना।

वैश्विक पहलें

- **महिलाओं के प्रति भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर केंद्रित 'संधि' (CEDAW):** वर्ष 1979 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया
  - जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करना
- **महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा (DEVAW):** महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को स्पष्ट रूप से संबोधित करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय उपकरण
  - राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के लिये एक रूपरेखा प्रदान करता है
- **सुरक्षित शहर और सुरक्षित सार्वजनिक स्थान:** संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा संचालित प्रमुख कार्यक्रम
  - सार्वजनिक स्थानों पर यौन उत्पीड़न एवं हिंसा के अन्य रूपों को रोकना और उन पर प्रतिक्रिया देना
- **बीज़िंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन (1995):** हिंसा को रोकने और प्रतिक्रिया देने के लिये सरकारों द्वारा की जाने वाली विशिष्ट कार्रवाइयों की पहचान करता है
- **SDG 5 (लैंगिक समानता):** प्रत्येक स्थान पर सभी महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना

दृष्टि The Vision
Drishti IAS

रिपोर्ट के अनुसार महिला हत्या को कैसे रोका जाए?

- **मूल कारणों पर ध्यान देना:** विभिन्न स्तरों पर लैंगिक हिंसा के **मूल कारणों** पर ध्यान केंद्रित करना।
    - **व्यक्तिगत स्तर:** हिंसा के **दृष्टिकोण, व्यवहार और इतिहास को** संबोधित करना।
    - **पारस्परिक संबंध:** पारिवारिक गतिशीलता और **साझेदार अंतःक्रियाओं में सुधार।**
    - **सामुदायिक स्तर:** संगठनात्मक और **समुदाय-आधारित सहायता** प्रणालियों को मज़बूत करना।
    - **सामाजिक स्तर: जड़ जमाये हुए लैंगिक मानदंडों और रूढ़ियों को** चुनौती देना।
- **शैक्षिक पहल:** लैंगिक समानता, संबंध कौशल और **पुरुषों और महिलाओं के लिये स्वीकार्य सामाजिक भूमिकाओं को बढ़ावा देने हेतु पाठ्यक्रम को एकीकृत करना।**
    - हिंसा को बढ़ावा देने वाले **दृष्टिकोणों और व्यवहारों पर पुनर्विचार करने** में दोनों लैंगिकों को शामिल करना।
- **कानूनी उपाय:** लैटिन अमेरिका की तरह, लिंग आधारित उद्देश्यों से प्रेरित हत्याओं के लिये **गंभीर कारकों** को जोड़ते हुए, महिला हत्या को एक अलग **आपराधिक अपराध** के रूप में वर्गीकृत करना।
    - लैंगिक हिंसा से निपटने के लिये **पुलिस, न्यायपालिका और अभियोजन सेवाओं के भीतर समर्पित इकाइयाँ** स्थापित करना (जैसे, कनाडा, स्वीडन, जॉर्डन)।
- **जोखिम न्यूनीकरण:** पुलिस को **उच्च जोखिम वाली स्थितियों** की पहचान करने और तत्काल हस्तक्षेप करने के लिये प्रशिक्षित करना।
    - हत्याओं की संभावना को कम करने के लिये अपराधियों और पीड़ितों के बीच **संपर्क को रोकने के** आदेश लागू करना तथा अंतरंग साथी के साथ हिंसा की प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों को **हथियारों का लाइसेंस** नहीं देना चाहिये।
- **जागरूकता आंदोलन:** लैंगिक हिंसा की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने और **अपकारी प्रथाओं की निंदा करने के लिये** *?? ?? ??????? (#Me Too)* और *?? ??? ??????* (अर्जेंटीना में **एक भी महिला कम नहीं**) जैसे अभियान।
- **डेटा संग्रहण और विश्लेषण: सरकारों को** महिला-हत्या के रुझान और पैटर्न पर **वार्षिक रिपोर्ट** तैयार करनी चाहिये।
    - नागरिक समाज को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आँकड़ों की निगरानी और विश्लेषण के लिये **"फेमीसाइड ऑब्ज़र्वेटरी"** स्थापित करनी चाहिये।

निष्कर्ष

रिपोर्ट में **महिला हत्या के वैश्विक संकट** पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें लैंगिक हिंसा से निपटने के लिये **बहुआयामी दृष्टिकोण** अपनाने का आग्रह किया गया है। रोकथाम के लिये मूल कारणों को संबोधित करना, कानूनी ढाँचे को मज़बूत करना, सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना और डेटा संग्रह में सुधार करना आवश्यक है। महिला हत्या को रोकने और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिये **व्यक्तिगत, सामाजिक एवं संस्थागत स्तरों पर सामूहिक कार्यवाही** आवश्यक है।

??????? ?????? ???????:

प्रश्न: लैंगिक हिंसा के मूल कारणों की जाँच कीजिये और भारत में महिला हत्या को रोकने के लिये रणनीति प्रस्तावित कीजिये।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स

प्रश्न. प्रायः समाचारों में देखा जाने वाला 'बीजिंग घोषणा और कार्रवाई मंच (बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन)' निम्नलिखित में से क्या है? (2015)

(a) क्षेत्रीय आतंकवाद से निपटने की एक कार्यनीति (स्ट्रैटजी), शंघाई सहयोग संगठन की बैठक का एक परिणाम।
(b) एशिया-प्रशांत क्षेत्र में धारणीय आर्थिक संवृद्धि की एक कार्य-योजना, एशिया-प्रशांत आर्थिक मंच (एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम) के विचार-विमर्श का एक परिणाम।
(c) महिला सशक्तीकरण हेतु एक कार्यसूची, संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित विश्व सम्मेलन का एक परिणाम।
(d) वन्यजीवों के दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग) की रोकथाम हेतु कार्यनीति, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईस्ट एशिया समिट) की एक उद्घोषणा।

उत्तर: C

??????

प्रश्न. हम देश में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के मामलों में वृद्धि देख रहे हैं। इसके खिलाफ मौजूदा कानूनी प्रावधानों के बावजूद ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। इस खतरे से निपटने के लिये कुछ अभिनव उपाय सुझाइये। (2014)

प्रश्न: महिला संगठनों को लिंग-भेद से मुक्त करने के लिये पुरुषों की सदस्यता को बढ़ावा मिलना चाहिये। टिप्पणी कीजिये। (2013)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/femicides-in-2023-global-estimates-of-intimate-partner-family-member-femicides-report